जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 21-08-2019**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 21.08.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर तीन व्यक्तियो की मृत्यु कारित के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 577 / 19 धारा 279/337/338/304(A) भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता अतीक अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासी जगदीशपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनाँक 15-08 -2019 को लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाकर बूधाकला चौराहे के पास खड़ी गाड़ी से उतरे लोगो के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया, जिससे तीन लोगो की मृत्यु हो गई। उक्त के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दिनॉक 16-08-2019 को अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमे आज दिनॉक 21-08-2019 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

मिट्टी का तेल डालकर जलाने व मारने-पीटने के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 377/19 धारा 326/504 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता पंकज उपाध्याय पुत्र स्व0 जनार्दन उपाध्याय निवासी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनॉक 05-06-2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी को घर से निकालकर मिट्टी का तेल लकर जलाया गया व मारा पीटा गया, जिसके सम्बन्ध मे वादिनी द्वारा दिनॉक 08-06-2019 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमे आज दिनॉक 21-08-2019 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

वारण्टी

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता संतोष उर्फ जवाहिर पुत्र रामदेव निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता मारकण्े पुत्र उदयराज निवासी संठी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता कृष्ण कुमार पुत्र सोमई हरिजन निवासी महादेवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता – 1- हरिराम पुत्र संतबली निवासी बेलहर खुर्द 2 – मंगरू पुत्र दयाराम निवासी बेलहर कला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1490 ने घायल को पहुचाया अस्पताल</u> – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 6980 से कालर ने दुर्घटना होने के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 06 मिनट में मौके पर पहुचकर घायल को पीआरवी से अस्पताल पहुचाया गया तथा थाना धनघटा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर घायल व्यक्ति की जान बचाई गयी। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी रामानन्द चौधरी, आरक्षी अनिरुद्ध प्रसाद, आरक्षी चालक ध्रुव सिंह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 01 वाहन सीज, 05 वाहन चालान, 73 वाहनो से 124400 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 21-08-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 01 वाहन सीज, 05 वाहन चालान, 73 वाहनो से 124400 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 17 अभियुक्त गिरफ्तार –

- **कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **दुधारा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **मेहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 21-08-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 25 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 89 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 01 लड़कें से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।